

संख्या- 27/2/2008-एस.आर.एस.(भाग-2)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली ।

दिनांक जुलाई, 2008

सेवा में,

मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार,  
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,  
उत्तराखंड सरकार,  
देहरादून ।


7 JUL 2008

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका संख्या 4417/05 में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य परामर्शदात्री समिति, उत्तर प्रदेश की 8 मई, 2008 को आयोजित बैठक में श्री जगमोहन प्रसाद वर्मा, जिला मनोरंजन कर अधिकारी के सुविचारित और अनुशंसित अभ्यावेदन पर साक्ष्यानी पूर्वक विचार किए जाने के बाद केन्द्र सरकार ने श्री वर्मा के संबंध में अंतिम आबंटन उत्तर प्रदेश राज्य में न करने का निर्णय लिया है क्योंकि श्री जगमोहन प्रसाद वर्मा को उत्तराखंड राज्य आबंटन उनके संवर्ग के आबंटन के समय लागू दिशा-निर्देश के अंतर्गत ही किया गया था । अतः श्री वर्मा के अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

2 अधिकारी को उपरोक्त निर्णय से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय,



(वि. पेददत्ता)

उप सचिव, भारत सरकार.

प्रति:-

1. डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री एन.एस. नपलच्याल, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।
3. प्रधान सचिव, मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
4. प्रधान सचिव, मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।